

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-25/2026.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 10) जो आज दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि०प्र० विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 10.

हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

अध्याय—I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम।

अध्याय— II

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 का संशोधन

2. धारा 12—ग का संशोधन।
3. धारा 12—ड का संशोधन।
4. धारा 21 का संशोधन।
5. धारा 28 का प्रतिस्थापन।
6. धारा 34 का प्रतिस्थापन।

अध्याय—III

सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन)
अधिनियम, 2021 का संशोधन

7. धारा 18 का संशोधन।
8. धारा 29 का संशोधन
9. धारा 32 का प्रतिस्थापन।
10. धारा 38 का प्रतिस्थापन।

अध्याय— IV
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 का संशोधन

11. धारा 13 का संशोधन।
12. धारा 17 का संशोधन।
13. धारा 21 का प्रतिस्थापन।
14. धारा 24 का प्रतिस्थापन।
15. धारा 25 का लोप।

अध्याय—V
हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 का संशोधन

16. धारा 19 का प्रतिस्थापन।
17. धारा 39 का प्रतिस्थापन।
18. धारा 44 का प्रतिस्थापन।

अध्याय—VI
**अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम,
2017 का संशोधन**

19. धारा 15 का संशोधन।
20. धारा 32 का प्रतिस्थापन।
21. धारा 51 का प्रतिस्थापन।

2026 का विधेयक संख्यांक 10.

हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय संबंधी विधियों में संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।

अध्याय—II
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 का संशोधन

2. **धारा 12—ग का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 12—ग में.—

(क) उप-धारा (2) में, "विद्या परिषद् और वित्त समिति" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "और विद्या परिषद्" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (5) में, "विद्या परिषद् और वित्त समिति" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर "और विद्या परिषद्" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 12—ड का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 12—ड की उप-धारा (2) में, "विद्या परिषद् और वित्त समिति" शब्दों के स्थान पर "और विद्या परिषद्" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 21 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 21 की उप-धारा (5) में, "परन्तु कर्मचारियों के सेवा मामलों और वित्तीय मामले पर इसके द्वारा वित्त समिति की सिफारिशों के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा" शब्दों का लोप किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5—क) वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा जो उसके पश्चात् उन्हें अपनी सिफारिशों सहित विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।"

5. धारा 28 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"28. वित्त समिति.— (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा—शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

(4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों को धारा 21 की उप-धारा के (5क) के अनुसार कार्रवाई के लिए परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी"।

6. धारा 34 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"34. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति,—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

(2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।

- (3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।”।

अध्याय—III

सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 का संशोधन

7. धारा 18 का संशोधन.— सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 18 में—

- (क) उप-धारा (2) में, “विद्या परिषद् और वित्त समिति” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “और विद्या परिषद्” शब्द रखे जाएंगे; और
- (ख) उप-धारा (5) में, “विद्या परिषद् और वित्त समिति” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “और विद्या परिषद्” शब्द रखे जाएंगे;

8. धारा 29 का संशोधन.— सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश की धारा 29 की उप-धारा (5) में, “परन्तु कर्मचारियों के सेवा मामलों और वित्तीय मामले पर इसके द्वारा वित्त समिति की सिफारिशों के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा” शब्दों का लोप किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

“(5-क) वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा जो उसके पश्चात् उन्हें अपनी सिफारिशों सहित विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।”।

9. धारा 32 का प्रतिस्थापन.—सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

- “32. वित्त समिति.—**(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।
- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
 - (3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।
 - (4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों की धारा 29 की उप-धारा (5क) के अनुसार कार्रवाई के लिए कार्यकारी परिषद् के प्रस्तुत करेगी।”।

10. धारा 38 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“38. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति,—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

- (2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।
- (3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।

अध्याय—IV **हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम,** **2014 का संशोधन**

11. धारा 13 का संशोधन.— हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 13 की उपधारा (3) में, “विद्या परिषद् और वित्त समिति” शब्दों के स्थान पर “और विद्या परिषद्” शब्द रखे जाएंगे।

12. धारा 17 का संशोधन.— हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 17 में,—

- (क) उप-धारा (1) में, “, वित्त समिति” चिह्न एवं शब्दों का लोप किया जाएगा; और
- (ख) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - “(2) उप-धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—
 - (क) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु, अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अनुसार, अध्ययन विद्यालय (स्कूल ऑफ स्टडीज) या विभागों या केन्द्रों या विशिष्ट प्रयोगशालाओं या महाविद्यालयों की स्थापना करना;
 - (ख) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों का संस्थापन करना;
 - (ग) परिनियमों का निर्माण, संशोधन या निरसन करना तथा सभी नियमों और विनियमों का अनुमोदन करना;
 - (घ) अध्यादेशों पर विचार करना, उनमें संशोधन करना तथा उनका अनुमोदन या निरसन करना;

- (ड) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक विवरण एवं लेखाओं तथा वार्षिक बजट पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना;
- (च) वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें अपनी सिफारिशों सहित विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;
- (छ) विश्वविद्यालय की चल, अचल तथा बौद्धिक संपत्ति को स्वीकार करना, अंतरित करना तथा अन्यथा उसका नियंत्रण करना;
- (ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए, यथास्थिति, अंशदायी भविष्य निधि या सामान्य भविष्य निधि स्थापित करना तथा उसका अनुमोदन करना;
- (झ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा की आकृति तथा उसके उपयोग के संबंध में विनिश्चय करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय के कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए आवश्यक ऐसी समितियां नियुक्त करना, जैसी अपेक्षित हों;
- (ट) अपनी किसी शक्ति को कुलपति, कुलसचिव, संकायाध्यक्षों या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी अथवा प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को प्रत्यायोजित करना; और
- (ठ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या उनके अधीन उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।”।

13. धारा 21 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

- “21. वित्त समिति.—**(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।
- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।
- (4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों को धारा 17 की उप-धारा 2 के अनुसार कार्रवाई के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

14. धारा 24 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

- “24. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति,—**(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

- (2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।
- (3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।”।

15. धारा 25 का लोप.—हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 25 का लोप किया जाएगा।

अध्याय— V
हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय
अधिनियम, 1986 का संशोधन

16. धारा 19 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

- “19. वित्त समिति.—**(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।
- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
 - (3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।
 - (4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों को प्रबन्धन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।”।
 - (5) वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा जो उन्हें तत्पश्चात् राज्य सरकार के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु अपनी सिफारिशों सहित प्रस्तुत करेगा।

17. धारा 39 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

- “39. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति,—**(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

- (2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।
- (3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।”।

18. धारा 44 का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 44 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“44. विश्वविद्यालय निधि.—(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे “विश्वविद्यालय निधि” कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :—

- (क) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोई अंशदान, अनुदान या ऋण;
 - (ख) शुल्क और अन्य प्रभारों से प्राप्त आय सहित सभी स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;
 - (ग) वसीयत, दान, उपहार, न्यास—निधियों तथा अन्य अनुदानों, यदि कोई हों, के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां;
 - (घ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां।
- (2) विश्वविद्यालय की सभी निधियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति से निवेशित की जाएंगी, जैसा कि कुलपति द्वारा विनिश्चित किया जाए।
 - (3) विश्वविद्यालय की निधियों का उपयोग विश्वविद्यालय के व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा, जिसमें इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा विश्वविद्यालय की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय भी सम्मिलित होंगे।”।

अध्याय—VI

अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 का संशोधन

19. धारा 15 का संशोधन.— अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 की धारा 15 की उप-धारा (4) में, “और वित्त समिति” और “वित्त समिति” शब्दों का लोप किया जाएगा।

20. धारा 32 का प्रतिस्थापन.— अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“32. वित्त समिति.—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।

- (2) पदेन सदस्यों से भिन्न इसके सदस्यों की संरचना तथा पदावधि ऐसी होगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (3) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित सभी वित्तीय एवं सेवागत मामले, जिनमें पदों का सृजन, पदों का उन्नयन अथवा पदों को भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण तथा वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे।
- (4) वित्त समिति अपनी सिफारिशों को प्रबन्धन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी”।
- (5) वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा जो उन्हें तत्पश्चात् राज्य सरकार के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु अपनी सिफारिशों सहित प्रस्तुत करेगा।

21. धारा 51 का प्रतिस्थापन.—अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 की धारा 51 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“51. शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अर्हताओं, मानकों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

- (2) विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर सभी सीधी भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य भर्ती अभिकरण के माध्यम से की जाएंगी।
- (3) पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, संविदा, कार्यकाल, पुनर्नियोजन अथवा सीधी भर्ती से भिन्न भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा नियुक्तियां ऐसी रीति से की जाएंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (4) विश्वविद्यालय, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा।”।

उद्देश्य और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए पृथक-पृथक अधिनियमों के अधीन विभिन्न राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। इन विश्वविद्यालयों को उनकी शैक्षणिक, अनुसंधान संबंधी तथा प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के माध्यम से पर्याप्त वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। समय-समय पर, उनके शासन और प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं।

तथापि, वित्तीय कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासन के अभाव के कुछ मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं। अतः राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तीय शासन-तंत्र को अधिक सुदृढ़ करना तथा उसमें अधिक प्रभावी वित्तीय पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य यह उपबंध करना

है कि प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति की अध्यक्षता सरकार के वित्त सचिव द्वारा की जाएगी तथा वित्तीय निहितार्थ वाले सभी मामले, जिनमें पदों का सृजन, उन्नयन और उन्हें भरा जाना, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों का निर्माण या उनमें संशोधन, वित्तीय निहितार्थ वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सेवा-शर्तों का पुनरीक्षण सम्मिलित है, वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे। वित्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, यथास्थिति, कार्यकारी परिषद् या बोर्ड, विचार करेगा और तत्पश्चात् उन्हें अपनी सिफारिशों सहित सरकार के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

विधेयक का उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अशैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती में निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए यह उपबंध किया जाना प्रस्तावित है कि ऐसी नियुक्तियां, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से, लागू विधियों के अनुसार की जाएंगी।

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करना, संस्थागत शासन में सुधार करना, लोक निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना तथा राज्य विश्वविद्यालयों में एक पारदर्शी और विश्वसनीय भर्ती प्रणाली स्थापित करना है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू),
मुख्यमंत्री

शिमला :

तारीख : , 2026

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 10 OF 2026.

**THE HIMACHAL PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)
BILL, 2026**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

1. Short title.

CHAPTER-II

**AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH
UNIVERSITY ACT, 1970**

2. Amendment of section 12-C.

3. Amendment of section 12-E.
4. Amendment of section 21.
5. Substitution of section 28.
6. Substitution of section 34.

CHAPTER-III

AMENDMENTS TO THE SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI, HIMACHAL PRADESH (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2021

7. Amendment of section 18.
8. Amendment of section 29.
9. Substitution of section 32.
10. Substitution of section 38.

CHAPTER-IV

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2014

11. Amendment of section 13.
12. Amendment of section 17.
13. Substitution of section 21.
14. Substitution of section 24.
15. Omission of section 25.

CHAPTER-V

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY ACT, 1986

16. Substitution of section 19.
17. Substitution of section 39.
18. Substitution of section 44.

CHAPTER-VI

AMENDMENTS TO THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH ACT, 2017

19. Amendment of section 15.
20. Substitution of section 32.
21. Substitution of section 51.

BILL NO. 10 OF 2026.

THE HIMACHAL PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the State Universities Laws of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2026 .

CHAPTER-II

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY ACT, 1970

2. Amendment of section 12-C.—In section 12-C of the Himachal Pradesh University Act, 1970,-

- (a) in sub-section (2), for the sign and words “, the Academic Council and the Finance Committee”, the words “and the Academic Council” shall be substituted; and
- (b) in sub-section (5), for the sign and words “, the Academic Council and the Finance Committee”, the words “ and the Academic Council” shall be substituted.

3. Amendment of section 12-E.— In section 12-E of the Himachal Pradesh University Act, 1970, in sub-section (2), for the sign and words “, the Academic Council and the Finance Committee”, the words “and the Academic Council” shall be substituted.

4. Amendment of section 21.—In section 21 of the Himachal Pradesh University Act, 1970, in sub-section (5), the words and sign “but the service matters of employees and financial matters, may be considered by it after recommendations of the Finance Committee”, shall be omitted and thereafter, the following shall be inserted, namely:—

“(5A) The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Executive Council, which shall thereafter submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval.”.

5. Substitution of section 28.—For section 28 of the Himachal Pradesh University Act, 1970, the following shall be substituted, namely:—

“28. Finance Committee.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

- (2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.
- (3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.
- (4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Executive Council for taking action in accordance with sub-section (5A) of section 21.”.

6. Substitution of section 34.—For section 34 of the Himachal Pradesh University Act, 1970, the following shall be substituted, namely:—

“34. Appointment of teachers and other employees.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

- (2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.
- (3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.
- (4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.”.

CHAPTER-III

AMENDMENTS TO THE SARDAR PATEL UNIVERSITY MANDI, HIMACHAL PRADESH (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2021

7. Amendment of section 18.—In section 18 of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2021,—

- (a) in sub-section (2), for the sign and words “, the Academic Council and the Finance Committee”, the words “and the Academic Council” shall be substituted; and

- (b) in sub-section (5), for the sign and words “, the Academic Council and the Finance Committee”, the words “ and the Academic Council” shall be substituted.

8. Amendment of section 29.—In section 29 of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2021, in sub-section (5), the words and sign “but the service matters of employees and financial matters, may be considered by it after recommendations of the Finance Committee” shall be omitted and thereafter, the following shall be inserted, namely:—

“(5A) The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Executive Council, which shall thereafter submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval.”.

9. Substitution of section 32.—For section 32 of the Sardar Patel University Mandi, Himachal Pradesh (Establishment and Regulation) Act, 2021, the following shall be substituted, namely:—

“32. Finance Committee.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

- (2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.
- (3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.
- (4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Executive Council for taking action in accordance with sub-section (5A) of section 29.”.

10. Substitution of section 38.—For section 38 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“38. Appointment of teachers and other employees.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

- (2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.
- (3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.

- (4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.”.

CHAPTER-IV

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2014

11. Amendment of section 13.—In section 13 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, in sub-section (3), for the sign and words “, the Academic Council and the Finance Committee”, the words “ and the Academic Council” shall be substituted.

12. Amendment of section 17.—In section 17 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014,—

- (a) in sub-section (1), the sign and words “, the Finance Committee” shall be omitted; and
- (b) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Without prejudice to the provisions of sub- section (1) the Board shall have the following powers and functions, namely :—

- (a) to create School of Studies or Departments or Centres or Specialised Laboratories or Colleges as may be specified in the Ordinances for running various academic programmes;
- (b) to institute courses of study in the University;
- (c) to make, modify or repeal the statutes and approve all rules and regulations;
- (d) to consider, modify and approve or cancel the Ordinances;
- (e) to consider and approve the Annual Report, Annual Statement and Accounts, and the Annual Budget of the University;
- (f) to consider the recommendations of the Finance Committee and submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval;
- (g) to accept, transfer and otherwise control the moveable, immoveable and intellectual property of the University;
- (h) to institute and approve Contributory Provident Fund or General Provident Fund for the benefit of Officers, Teachers and employees of the University as the case may be;

- (i) to decide upon the form and use of common seal of the University;
- (j) to appoint such Committees as may be required for the efficient functioning of the University;
- (k) to delegate any of the powers to the Vice-Chancellor, Registrar, Deans or any other Officer, employee or any Authority of the University or to a Committee appointed by it; and
- (l) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by or under this Act or the regulations for achieving the objects of the University.”.

13. Substitution of section 21.—For section 21 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, the following shall be substituted, namely:—

“21. Finance Committee.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

- (2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.
- (3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.
- (4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Board for taking action in accordance with sub-section (2) of section 17.”.

14. Substitution of section 24.—For section 24 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, the following shall be substituted, namely:—

“24. Appointment of teachers and other employees.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

- (2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.
- (3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.
- (4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service

Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.”.

15. Omission of section 25.—Section 25 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014, shall be omitted.

CHAPTER-V

AMENDMENTS TO THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY ACT, 1986

16. Substitution of section 19.— For section 19 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986, the following section shall be substituted, namely:—

“19. Finance Committee.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

- (2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.
- (3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts, framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.
- (4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Board.
- (5) The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Board, which shall thereafter submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval.”.

17. Substitution of section 39.—For section 39 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986, the following shall be substituted, namely:—

“39. Appointment of teachers and other employees.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

- (2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.
- (3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.

- (4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.”.

18. Substitution of section 44.—For section 44 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986, the following shall be substituted, namely:—

“44. The University Fund.— (1) The University shall establish a fund to be called the University Fund to which shall be credited:—

- (a) any contribution or grant or loan received from the State Government and the Central Government;
 - (b) the income of the University from all sources including income from fees and other charges;
 - (c) all moneys received by the University by way of bequest, donations, gifts, endowments and other grants, if any;
 - (d) all moneys received by the University in any other manner or from any other source.
- (2) All funds of the University shall be deposited in such banks or invested in such manner as decided by the Vice-Chancellor.
- (3) The funds of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions by or under this Act.”.

CHAPTER-VI

AMENDMENTS TO THE ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH ACT, 2017

19. Amendment of section 15.—In section 15 of the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017, in sub-section (4), the words “and the Finance Committee”, and the words “Finance Committee” shall be omitted.

20. Substitution of section 32.—For section 32 of the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017, the following shall be substituted, namely:—

“32. Finance Committee.— (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the Finance Committee shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government.

- (2) Its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed by the statutes.
- (3) All financial and service matters relating to service conditions of employees of the University including creation, upgradation or filling up of the posts,

framing of recruitment and promotion rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee.

- (4) The Finance Committee shall place its recommendations before the Board of Management.
- (5) The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Board of Management, which shall thereafter submit the same, along with its recommendations, to the State Government for consideration and approval.”.

21. Substitution of section 51.—For section 51 of the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh Act, 2017, the following shall be substituted, namely:—

“51. Appointment of teachers and other employees.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statutes or ordinances made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission, in accordance with such qualifications, standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

- (2) All direct recruitments to the non-teaching posts of the University shall be made through the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog or such other recruitment agency as may be notified by the State Government.
- (3) Appointments by promotion, deputation, transfer, contract, tenure, re-employment or any other mode of recruitment other than direct recruitment shall be made in such manner as may be prescribed by the statutes.
- (4) The University shall issue appointment orders on the basis of the recommendations made by the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, or any other recruiting agency, as the case may be.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of Himachal Pradesh has established various State Universities under separate enactments to promote higher education, research, innovation and dissemination of knowledge. These Universities are substantially funded by the State Government through Grant-in-Aid for carrying out their academic, research and administrative activities. From time to time, amendments have been made in the respective enactments to strengthen their governance and administration.

Certain instances of financial mismanagement and lack of financial discipline have, however, come to the notice of the Government. It has, therefore, become necessary to strengthen the financial governance framework of the State Universities by providing greater financial oversight and accountability. The Bill seeks to provide that the Finance Committee of every State University shall be headed by the Secretary (Finance) to the Government and that all matters involving financial implications including creation, upgradation and filling up of posts, framing or

amendment of recruitment and promotion rules, revision of pay, allowances and other service conditions of employees having financial implications, shall be placed before the Finance Committee. The recommendations made by the Finance Committee shall be considered by the Executive Council or the Board, as the case may be, which shall thereafter submit the same, alongwith its recommendations to the Government for consideration and approval.

The Bill further seeks to ensure fairness, transparency and merit-based selection in the recruitment of teaching and non-teaching staff of the State Universities by providing that such appointments shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission and the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, as the case may be, in accordance with the applicable laws.

The proposed amendments are intended to strengthen financial discipline, improve institutional governance, ensure proper utilization of public funds and establish a transparent and credible recruitment system in the State Universities.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA
THE _____, 2026